

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तादाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

राज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम जैतारण जिला ब्यावर
ईजलास :- श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

--:: वादीगण ::-- बनाम --:: प्रतिवादीगण ::--

लोकेश पुत्र खीवराज उम्र नाबालिग 1. नैनाराम पुत्र श्री बीजाराम जाति
विनोद पुत्र खीवराज उम्र नाबालिग मेघवाल निवासी राबडियावासा तहसील
प्रियंका पुत्री खीवराज उम्र नाबालिग जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान।
वादी संख्या 1 से 3 नाबालिग के 2. श्रीमान् तहसीलदार साहब जैतारण
कुदरती वली पिता खीवराज पुत्र भूमिधारी राजस्थान सरकार
पांचुराम जाति मेघवाल निवासी
राबडियावासा हाल ब्यावर जिला
अजमेर, राजस्थान

मु0न0 :रा0वा0स0: 285/2019 (83/2018)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा 'आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू-.....

.. व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुद्धई पेश
होकर हुक्म दिया जाता है कि बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक
वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा
राबडियावासा तहसील जैतारण, जिला ब्यावर में खसरा नम्बर 71/4, 850, 851 कुल
खसरा 3 कुल रकबा 28-14 बीघा भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप
से किया जाता है :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्लिदयत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा हैक्टेयर | किस्म | लगान |
|----------|---|------------|---------------|--------|------|
| 1 | लोकेश पुत्र राजुदेवी 1/3 विनोद पुत्र राजुदेवी 1/3 प्रियंका पुत्री राजुदेवी 1/3 कौम भांभी सा. देह खातेदार । | 850/1 | 1.3354 | बा.अ. | 0.83 |
| | | 851/1 | 0.9632 | बा.अ. | 0.60 |
| | | योग-2 | 2.2986 | | 1.43 |
| 2 | नैना पुत्र बीजा कौम भांभी सा. देह खातेदार रहन SBI शाखा निमाज | 850 | 1.3355 | बा.अ. | 0.83 |
| | | 851 | 0.9631 | बा.अ. | 0.59 |
| | | योग-2 | 2.2986 | | 1.42 |
| 3 | नैना पुत्र बीजा 1/2 कौम भांभी रहन SBI शाखा निमाज लोकेश पुत्र राजुदेवी 1/6 विनोद पुत्र राजुदेवी 1/6 प्रियंका पुत्री राजुदेवी 1/6 कौम भांभी सा. देह खातेदार | 71/4 | 0.0486 | चा.दो. | 0.17 |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

25-2-2026

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण, जिला-ब्यावर



नीज.....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय
व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-...
को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25.02.
026 को जारी किया गया।

मोहर



[Signature]
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज 0)

| मुद्दाई | रुपये | पैसे | मुद्दायलाह | रुपये | पैसे |
|----------------------|-------|------|----------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दाख | 2.00 | | स्टाम्प वकालतनामा | 0.00 | |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1.00 | | स्टाम्प अर्जी | 0.00 | |
| स्टाम्प वजह सबूत | 0.00 | | महनताना वकील | 0.00 | |
| महनताना वकील | 0.00 | | खर्चा गवाहान | 0.00 | |
| खर्चा गवाहान | 0.00 | | फीस कमीश्नर | 0.00 | |
| फीस कमीश्नर | 0.00 | | बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | 0.00 | | मुत्फरिक | 0.00 | |
| मिजान:- | 3.00 | | मिजान:- | 0.00 | |

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।

[Signature]